उत्तराखंड पर्यटन नीति में संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने **राज्य की पर्यटन नीति- 2018** में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिसमें विभिन्न उद्योगों को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) मुआवज़ा मिलने की अवधि निर्दिष्ट की गई।

मुख्य बिंदु:

- संशोधन के अनुसार, उत्तराखंड में **A, B** और **B+ श्रेणी के उद्योगों** को पाँच वर्ष के लिये 100% SGST मुआवज़ा मिलेगा, जिसके बाद उन्हें **अगले पाँच वर्षों के लिये क्रमशः 90, 75 तथा 75%** की दर से यह मिलेगा।
  - **लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं** को 10 वर्षों के लिये क्रमशः 30 तथा 50% का SGST मुआवज़ा मिलेगा।
- उत्तराखंड पर्यटन नीति- 2018 का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेशकों के लिये एकल-खिड़की निकासी प्रणाली स्थापित करना था।
  - हालाँकि राज्य में विभिन्न उद्योगों को SGST मुआवज़ा प्रदान करने की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।
- राज्य मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया:
  - **विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवा अवधि** को 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए।
  - शहरी परिवहन व्यवस्था के विकास, संचालन और निर्वहन के लिये राज्य विधानसभा में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 पेश किया जाए
  - सहकारी समिति के नियमों में संशोधन कर इसकी **प्रबंधन समितियों में 33% पद महिलाओं के लिये आरक्षित** किया जाए।
  - **महासू देवता मंदिर** के आस-पास रहने वाले परिवारों को पुनर्स्थापित करें।

महासू देवता मंदिर

- यह उत्तराखंड के **देहरादून ज़िले के हनोल में त्यूनी-मोरी मार्ग** पर स्थित है और 9वीं शताब्दी में बनाया गया था।
- यह मंदिर **महासू देवता** को समर्पित है। इसका निर्माण काठ-कुनी या कोटि-बनाल वास्तुकला शैली में किया गया था।
- यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्तराखंड के देहरादून सर्कल के प्राचीन मंदिरों की सूची में शामिल है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/amendment-in-uttarakhand-tourism-policy